(7)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **आर.के.मिश्रा,**

सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील 4112-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 10-11-2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग जिला रीवा म.प्र. प्रकरण क्रमांक 22 पुनर्विलोकन/2014-15.

दीपेन्द्र सिंह तनय श्री सुरेन्द्र सिंह
निवासी बन्नाजवाहर सिंह तहसील हनुमना जिला-रीवा म.प्र.

...............आपीलार्थी

बनाम

1. कुमारी ज्योति सिंह तनय श्री महेन्द्र सिंह
2. पितेन्द्र सिंह तनय श्री महेन्द्र सिंह
3. जनेन्द्र सिंह पिता महेन्द्र सिंह
   निवासीगण बन्नाजवाहर सिंह तहसील हनुमना जिला-रीवा म.प्र.
4. मध्यप्रदेश शासन

.... प्रत्यर्थीगण

श्री, एस0के0 वाजपेयी अधिवक्ता, अपीलार्थी
श्री, डी.एस. चौहान अभिभाषक, अनावेदक 1 से 3
श्री दिलीप तोमर, अभिभाषक, अनावेदक 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/02/2019 को पारित)

अपीलर्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(3) के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग जिला रीवा म.प्र. द्वारा पारित दिनांक 10-11-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा आराजी क्र. 467/5क, 467/6 व 467/7 स्थित ग्राम बरना जवाहर सिंह तहसील हनुमना के नक्शा सुधार हेतु म.प्र. भू-राजस्व-संहिता 1959 की धारा 107 (5) के तहत आवेदन अपर कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष पेश की गई। अपर कलेक्टर ने दिनांक 12-04-13 को आदेश पारित कर

तहसीलदार/अधीक्षक भू-प्रबंधन जिला रीवा के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित नम्बरो का तरमीम/सुधार किये जाने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अपील दीपेन्द्र सिंह द्वारा अपर आयुकत रीवा के न्यायालय में पेश की गई। अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 842/अपील/12/13 में आदेश दिनांक 12-03-14 को पारित अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया एवं प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग जिला रीवा के समक्ष प्रकरण क्रमांक 22/पुनर्विलोकन/2014-15 प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 10-11-14 को अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित कर पुनर्विलोकन स्वीकार किया गया और अपील में पारित आदेश दिनांक 12-3-2014 निरस्त किया। अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण के विषय वस्तु के अनुसार अधीक्षक भूमि प्रबधंन जिला रीवा एवं तहसील हनुमना के अनुसार जो नजरी नक्शा तैयार किया गया उसमें वाद-ग्रस्त कब्जे की स्थिति दर्शाई गई है। राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर सूचनाजारी कर स्थल जांच कर प्रतिवेदन तैयार किया। जिसके आधार पर तहसीलदार तथा अधीक्षक भू-अभिलेख ने भी परीक्षण उपरांत नक्शा संशोधन हेतु प्रतिवेदन दिया। उक्त आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा ज्योतिसिंह वगैरा के द्वारा म.प्र. भू.रा. सहिंता 107(5) अनुसार आवेदन को स्वीकार करके प्रश्नाधीन भूमि का नक्शा सुधार का आदेश पारित किया गया। अपर आयुक्त ने अपने पुनर्विलोकन ओदश में सभी पक्षकारों की उपस्थिति का जिक्र करते हुये प्रतिक्रिया से सहमति जाहिर करते हुये पूर्वपारित आदेश् दिनांक 12-3-2014 में वैधानिक त्रुटि होनेसे निरस्त कर अपर कलेक्टर के आदेश को यथावत रखा। इस न्यायालय में भी अपीलार्थी कोई ऐसे वैधानिक तथ्य पेश नहीं कर पाया है जिससे अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 10-11-2014 में परिवर्तन किया जा सके। अत: प्रकरण में परीक्षण उपरांत अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि अनुकूल पाने से स्थिर रखा जाता है। अपील अस्वीकार की जाती है।

4/02/2019.

(आर.के.मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर